राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4364 / 2022

अनीता यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि पंत भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
3. सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4. रतिराम, वर्तमान पदस्थापन कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय, लाम्बा अहिर, कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, चिड़ावा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 23.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन मु.बासडी सहायक निदेशक, कृषि (वि.) श्रीमाधोपुर से मु.लाम्बी, अहीर सहायक निदेशक कृषि (वि.), चिडावा में किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। उनका तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को दुर्भावनापूर्वक समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।
3. उनका तर्क है कि आलोच्य आदेश में जिले का नाम अंकित नहीं किया गया है, जिस कारण आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये हुए जारी किया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के केवल दुर्भावनापूर्वक अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है। अतः

अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

4. हमनें विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
5. अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि वर्तमान स्थानान्तरण आदेश निजी प्रत्यर्थी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पारित किया गया हो। वर्तमान स्थानान्तरण आदेश जनहित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की दुर्भावना, नियम विरूद्धता एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
7. आदेश आज दिनांक 03.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)